शोध मंथन Vol. XIII No.I Jan.-Mar. 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

नाता से प्रभावित बच्चों की सामाजिक अवस्थायें : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्राप्तिः 24.02.2022
स्वीकृतः 15.03.2022

डॉ० सपना मीणा
प्राइमरी अध्यापक
केंद्रीय विद्यालय, बांदीकुई
ईमेलः *sapana_meena@yahoo.com*

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र नाता आने वाली महिलाओं के बच्चों के विषय में हैं जो कि नाता की विशेष परिस्थितियों के चलते अपने पूर्व विवाह से उत्पन्न बच्चों को छोड़ आती हैं एवं अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में अपने साथ ले आती हैं। इस हेतु डाटा संग्रहण हेतु प्रथमतया प्राथमिक स्रोत का ही उपयोग किया गया हैं। साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया हैं। यह अध्ययन पूर्णतया अनुभवात्मक पद्धति पर आधारित हैं।

मुख्य बिन्दू

पुनर्विवाह, तलाकशुदा, हर्जाना, झगडालेना, संविदा, पलायन ।

प्रस्तावना

आदिवासी में विवाह एक सामाजिक धार्मिक संविदा है। हिंदू समाज की तरह यह धार्मिक संस्कार नहीं है। आदिवासी अपने सामाजिक सांस्कृतिक आधार ऊपरी विवाह, शादी का चयन करता है। आदिवासियों में विवाह साथी चयन में लड़के लड़कियों को स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन लड़के–लड़कियों की स्वतंत्रता के अतिरिक्त माता–पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतया विवाह वर एवं वधु दोनों पक्षों के लोगों की सहमति पर ही संपन्न किए जाते हैं। आदिवासियों में पलायन विवाह का प्रचलन है।

विवाह संबंधी एक उल्लेखनीय पहलू विधवा–विवाह है, जिसे आदिवासी नाता कहते हैं। यदि कोई विधवा लड़की पुनर्विवाह करना चाहे तो उसका विवाह सामान्य दहेज की रकम अदाकर के कर दिया जाता है। तलाकशुदा लड़की का विवाह भी नाता कहलाता है। इस समाज में नाता प्रथा निम्न स्थितियों में संभव होती है प्रथम स्थिति में जब विधवा लड़की किसी लड़के से पुनर्विवाह करती है तथा अन्य स्थिति तब बनती है जब तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला विवाह करती है। उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में प्रथम जहाँ विधवा महिला का पुनर्विवाह तथा द्वितीय तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला का नाता होने पर यदि पूर्व विवाह से बच्चे उत्पन्न होते हैं तो ये महिलायें नाता होने पर इन बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाती हैं।

नाता गई महिला के बच्चों की देखभाल सम्बन्धी मुद्दों पर फैसला कर सकते हैं। सामान्यतया बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी महिला की होती हैं परन्तु यदि वह महिला नाता चली जाती हैं तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी उसके पूर्व पति पर आ जाती हैं। नाता से उत्पन्न संतान वैध मानी जाती है।

उद्देश्य

समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। अध्ययन के अनेक उद्देश्य होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन नाता से प्रभावित बच्चों को लेकर किया गया हैं जिसके अंतर्गत उन बच्चों के सामाजिक, मानसिक, व्यावहारिक बदलावों के बारे में जानना हैं। जब महिला नाता चली जाती हैं तो उनकी देखभाल किसके द्वारा की जाती हैं एवं इससे उनकी परवरिश पर कितना प्रभाव पड़ता हैं इस विषय में जानना ही इस अध्ययन का उद्देश्य हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आनुभविक एवं वर्णात्मक है। आनुभविक शोध पद्धति का मौलिक आधार इंद्रियों की सहायता से तथ्य एकत्रित करना है। इसका ज्ञान प्राप्ति का आधार इन्द्रिय जन्य अनुभव होता है जो व्यवस्थित अवलोकन एवं निर्वचन के नियमों पर आधारित होता है। अनुभवी अनुसंधान पद्धति का शाब्दिक अर्थ है अनुभव पर आधारित अनुसंधान पद्धति या विधि, यह वह पद्धति है जो समाजशास्त्री अध्ययनों में इन्द्रिय जन्य प्रयोग सिद्ध अनुभव पर विशेष जोर देती है। अनुभववाद वह विश्वास एवं धारणा है जो यह मानते हैं कि संपूर्ण मानवीय ज्ञान को मात्र अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

नाता जाने वाली महिला के बच्चो की सामाजिक परिस्थितियाँ

नाता प्रथा में जनजाति समाज की लड़की किसी लड़के के साथ उसकी पत्नी बनने की नीयत से चली जाती है, इसमें यदि वह लड़की अविवाहित है तो कोई बड़ी समस्या नही हैं, परन्तु यदि वह लड़की विवाहित है तो यह उसके पति के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। कई बार तो विवाहित महिलाएँ अपने पति के साथ–साथ अपने बच्चों को भी छोड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की देखभाल और उनका पालन–पोषण प्रभावित होता है इसके लिए पुरुष दूसरा विवाह तो कर लेता हैं परन्तु यह जरुरी नही कि वह महिला बच्चों को माँ जैसा प्यार दे, वे महिलाएँ कई बार बच्चों से सौतेला व्यवहार भी करती है। पति के लिए भी अपनी पहली पत्नी को भूलकर नये सिरे से शुरुआत करना मुश्किल होता है। इस प्रकार नाता प्रथा में एक पुरुष और उसके बच्चे दोनों ही अपने सामान्य अधिकार खो देते हैं। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य को अपने पसंद के जीवनसाथी के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार है परन्तु उसके अधिकारों के साथ उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। मनुष्य अपने अधिकारों को अपनाने के फेर में अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। परिणामस्वरूप वह किसी न किसी मनुष्य के अधिकारों का हनन करता हैं। जनजाति समाज में यह प्रथा बहुत समय से चली आ रहीं हैं। ऐसे कई पुरुष व बच्चे हैं जो नाता प्रथा के कारण समाज में मुश्किलों भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। अध्ययन द्वारा ज्ञात होता हैं कि नाता प्रथा में महिला अपने इच्छित पुरुष के साथ रहती हैं अर्थात विवाह के बाद यदि महिला अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं हैं तो वह उसे छोड़कर अपने पसंद के पुरुष के साथ जीवन निर्वाह कर सकती हैं। यह महिला का अधिकार हैं और यदि इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया तो यह महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि प्रत्येक पुरुष अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन निर्वाह का अधिकार रखता हैं। विवाह के पश्चात् महिलाएँ तो अपनी पसंद नापसंद के अनुसार अपने साथी का चुनाव कर लेती हैं परन्तु उसके बाद बच्चों का पालन–पोषण अधूरा रह जाता हैं और उन्हें माँ का प्यार नहीं मिल पाता। उन्हें सौतेली माँ के

अत्याचार सहन करने पड़ते हैं ऐसी स्थिति में बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता हैं। यह अधिकार तथा अनाधिकार का विचित्र संगम है। नाता से प्रभावित महिलाएँ जोकि अपने बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ चली जाती हैं उनके बच्चों को विद्यालय में शोषण का सामना करना पड़ता हैं और उनमें से अधिकतर बच्चों के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मित्रों का अभाव भी होता है। दिन–प्रतिदिन उनके घरों में नाता संबंधो की वजह से हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता हैं। अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि जनजातीय समाजों में व्याप्त नाता प्रथा के दो प्रकार होते है– प्रथम, वह नाता जिसमें महिला अपने पति की मृत्यु हो जाने पर अपनी इच्छा से और समाज की सहमति से अन्य व्यक्ति के साथ चली जाती हैं एवं दूसरा, जिसमें पति के जीवित रहते हुए महिला अन्य व्यक्ति के साथ अपनी इच्छा से जाती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में महिला अपने पहले पति से हुए बच्चों को पीछे ही छोड़ जाती हैं क्योंकि उसके नए पति द्वारा उन बच्चों को स्वीकार नही किया जाता। उन्होंने यह कहा कि इस की वजह से उन बच्चो को, जोकि अपने दादा–दादी अथवा अपने रिश्तेदारो के साथ रह रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की बाध्यताओं का सामना भी करना पड़ता हैं। नाता प्रथा के विभिन्न कारण हो सकते हैं जैसे कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा तथा यहाँ तक की पति विवाहित होते हुए भी किसी अन्य स्त्री के साथ रह सकता हैं। जनजातीय समुदायों के बच्चें जो इस नाता प्रथा से प्रभावित हैं उनको शारीरिक तथा मानसिक शोषण से कमजोर बना दिया जाता हैं। जनजातीय बच्चों में सामान्यतया जो 4–14 वर्ष की आयु के है, उन पर नाता प्रथा के बड़े ही घटक प्रभाव पड़ा हैं। सदियों से चली आने वाली इस प्रथा में विवाहित होते हुए भी एक पुरुष या महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने वैवाहिक संबंधों में असंतुष्टि या किसी भी एक की मृत्यु हो जाने पर अन्य व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से जा सकते हैं। जो व्यक्ति नाता के तहत अनेकों बार दूसरे व्यक्ति के साथ बिना विवाह किये अपनी इच्छा से जीवन यापन हेतु चले जाते है। विशेषतः महिलाएँ नाता के द्वारा दूसरी जगह जाती हैं तो प्रथम विवाह से उत्पन्न हुए बच्चों को वह पीछे अर्थात अपने पूर्व पति के पास ही छोड़ जाती है। ऐसा अधिकांशतः मामलों में पाया गया हैं कि उस परिवार में जहाँ पति की दूसरी पत्नी भी नाता के द्वारा आती हैं तो उन बच्चों को अनदेखा किया जाता है। मुख्यतया यह पाया गया हैं कि उन माताओं की संख्या ज्यादा हैं जो नाता विवाह के द्वारा गई हैं उन्हें अपने पूर्व विवाह से उत्पन्न हुए बच्चों के साथ सम्बन्ध रखने की अनुमति नहीं होती है और न ही वे कभी इसका प्रयास करती हैं। शोध के विषय के रूप में जिन 38% बच्चों को लिया गया वो घरेलु कार्यों, शारीरिक दंड या अन्य प्रकारों से प्रताड़ित किये गए लगभग 13% बच्चे सामाजिक तथा विद्यालय स्तर पर शोषण का शिकार होते हैं और यह यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। उनमें से 6% ऐसे भी हैं जिन्हें मौखिक एवं शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। समाज की उदासीनता यहाँ तक हैं कि 50% ऐसे बच्चें है जिनके कोई मित्र नहीं हैं और उन्हें समाज में कलंक माना जाता हैं ये सारी परिस्थतियाँ उन बच्चों की शिक्षा एवं मानसिक वृद्धि और उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भावनात्मक लगाव, प्यार और स्नेह की कमी की वजह से उन बच्चों के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं अतः यह आवश्यक है कि राज्य, समाज और परिवार उन बच्चों की उचित देखभाल करें। बच्चे के समुचित विकास के लिए नाता प्रथा से प्रभावित बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकारी नीति भी जरूरी है ।

निष्कर्ष

उक्त शोध पत्र में अध्ययनों के द्वारा प्राप्त जानकारी को प्रस्तुत किया गया हैं जिसके अनुसार नाता प्रभावित महिलाओं के बच्चों के विषय में बताया गया हैं। जिससे यह ज्ञात होता हैं कि नाता जाने वाली महिलाओं के नाता जाने के पश्चात् उनके पूर्व विवाह से उत्पन्न बच्चों का भविष्य चिंतामयी हो जाता हैं क्योंकि यें महिलाएँ अपने बच्चों को छोड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की देखभाल और उनका पालन–पोषण प्रभावित होता है। यें बच्चे अपने सामान्य अधिकार को खो देते हैं। जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की बाध्यताओं का सामना भी करना पड़ता हैं। सरकार को मानसिक तथा कौशल विकास जैसे तथ्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हैं जिससे बच्चें का चहूँमुखी विकास हो सके।

सन्दर्भ

1. जैन, डॉ. महावीर कुमार. (2017).
2. निनामा, डॉ. गणेश लाल. (2004). प्रथम संस्करण।
3. गोस्वामी, राकेश. (2016). "ट्राइबल चिल्ड्रेन बेयरब्रुंट ऑफ नाता प्रथा इन राजस्थान (हिंदुस्तान टाइम्स)"।
4. पालनहार योजना।
5. खान, सोहेब. (2016). "नाता कस्टमः ट्राइबल चिल्ड्रेन वल्नरेबलतो एब्यूज"– द टाइम्स ऑफ इंडिया (सिटी न्यूज) जयपुर।
6. चौबीसा, प्रियंका. (2016).